कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश नवम्बर–2023

क्रमांक /सां0लि0–36/2005 हरदा, दिनांक /11/2023

सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार नोट क्रमांक 12, 13 व 14 स्थापित किये जाते हैंः–

(12) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की अनुपस्थिति/अवकाश/ प्रशिक्षण/प्रवास या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायिक जिला स्थापना हरदा से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों का संपादन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा द्वारा किया जावेगा। (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश द्वारा)।

(13) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की अनुपस्थिति/अवकाश/ प्रशिक्षण/प्रवास या न्यायालय रिक्त होने की दशा में द्वितीय जमानत याचिका अथवा सहअभियुक्त की जमानत याचिका स्वतः संबंधित न्यायिक अधिकारी, जिसके द्वारा प्रथम जमानत याचिका अथवा सहअभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई की गई है, को अंतरित समझी जावेगी।

(14) तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय से जारी किये गये स्थायी वारंट (विशेष पॉक्सो प्रकरणों से जारी स्थायी वारंटों को छोड़कर) के पालन में उपस्थित अभियुक्त प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांकन क्रमांक /सां0लि0/36 हरदा, दिनांक............../11/2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण हरदा/टिमरनी/खिरकिया
2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, हरदा
3. पुलिस अधीक्षक, हरदा
4. जिला अभियोजन अधिकारी, हरदा
5. बार एसोसिएशन, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यविभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा